लेटर्स पेटेंट अपील।

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और एसएस संधावालिया के समक्ष

चंदगी राम और अन्य, ***अपीलकर्ता***

बनाम

मूंगा और अन्य, - *उत्तरदाता।*

1970 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 210।

20 अगस्त, 1970।

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) नियम* (1955) - नियम *90* और *92* - *सार्वजनिक नीलामी द्वारा विस्थापित संपत्ति की बिक्री - क्या केवल नियम *92* के तहत निहित है - ऐसी बिक्री - कब रद्द की जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 92 और नियम 90 के प्रासंगिक भाग को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है

नियम 90 के तहत, किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए निपटान आयुक्त को आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें उनसे बोली को अपनी मंजूरी नहीं देने के लिए कहा गया है, जिसे नीलामी बिक्री करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, जब प्रारंभिक जमा उच्चतम बोलीदाता द्वारा किया गया था। नियम 92 (2) (ए) के तहत, हालांकि, वह बिक्री को रद्द करने के लिए बोली की स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के भीतर एक आवेदन कर सकता है, जहां बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है। इस तरह के आवेदन देने की प्रक्रिया केवल नियम 92 में दी गई है। (पैरा 4)।

आगे अभिनिर्धारित किया कि नियमों के नियम 92 (3) के तहत, निपटान आयुक्त को बिक्री को रद्द करने से पहले दो मामलों के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, अर्थात्, (i) कि बिक्री के प्रकाशन या संचालन में भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी की गई है; और (ii) आवेदक को उक्त अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण काफी हानि हुई है। इन दो निष्कर्षों को निपटान आयुक्त द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वह बिक्री को अपास्त कर सके। (पैरा 6)

माननीय न् यायमूर्ति पी सी जैन द्वारा 10 फरवरी, 1970 *को दिए गए निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के* अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील 1968 की दीवानी याचिका संख्या *3660 शीर्षक मूंगा व अन्य बनाम हरियाणा राज्य आदि।*

पी.डी. शाकिर वकील अपीलकर्ताओं के लिए।

प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से वकील बलदेव कपूर और राजिंदर जैन।

सी. डी. दीवान, अतिरिक्त महान्यायविद, हरियाणा, और सी.बी. कौशिक, अधिवक्ता, हरियाणा राज्य के लिए।

निर्णय

पी.सी. पंडित, न्यायमूर्ति- यह आदेश 1970 के चार संबंधित लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 210 से 213 का निपटारा करेगा, क्योंकि उनमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं। पक्षकारों के वकील द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि उनमें से एक में निर्णय दूसरों को भी नियंत्रित करेगा। मैं 1970 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 210 में तथ्य दूंगा।

(2) हिसार जिले के कलार भैणी गांव में कुछ खाली की गई भूमि थी और उसे भूमिहीन हरिजनों को देने के लिए पुनर्वास विभाग ने 19 जुलाई, 1968 को इसकी नीलामी की। मूंगा और उनके भाई शिशु राम, प्रतिवादी 1 और 2, ने 24 कनाल भूमि के लिए सबसे अधिक बोली दी। उन्होंने नायब-तहसीलदार (बिक्री) को मौके पर प्रारंभिक जमा के रूप में 400 रुपये का भुगतान भी किया, जिन्होंने नीलामी का संचालन किया और उनसे रसीद प्राप्त की। नतीजतन, उनकी बोली उसी दिन स्वीकार कर ली गई। बोली की स्वीकृति से सात दिनों की समाप्ति के बाद, अपीलकर्ताओं चंदगी राम और महला राम ने प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में बिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया। यह आवेदन, हालांकि निपटान अधिकारी(बिक्री) प्रतिवादि संख्या 5 को संबोधित किया गया और हरियाणा की तत्कालीन राजस्व मंत्री श्रीमती ओम प्रभा जैन को सौंपा गया था। प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि चंदगी राम संसद सदस्य श्री दलबीर सिंह के असली चाचा का बेटा था। 29 जुलाई, 1968 को श्रीमती ओम प्रभा जैन ने निपटान अधिकारी को उत्तरदाता 1 और 2 के पक्ष में नीलामी की पुष्टि करने से पहले उक्त आवेदन की गहन जांच करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीन की फिर से नीलामी की जाए। 11 सितंबर, 1968 को, प्रतिवादी संख्या 5 ने उस आवेदन को स्वीकार कर लिया और बिक्री को रद्द कर दिया। यह भी निर्देश जारी किया गया था कि भूमि की फिर से नीलामी की जाए। उस निर्णय के खिलाफ, प्रतिवादी 1 और 2 अधिकृत मुख्य निपटान आयुक्त, प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष अपील में गए, जिन्होंने 12 नवंबर, 1968 को इसे खारिज कर दिया। इसके तुरंत बाद, प्रतिवादी 1 और 2 ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और इसे जैन, जे द्वारा 10 फरवरी, 1970 को स्वीकार कर लिया गया।

विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी संख्या 4 ने इस आशय का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया था कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 92 के अनुसार बिक्री के संचालन में कोई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी हुई थी। यह भी माना गया कि प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था कि कथित अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण अपीलकर्ताओं को कोई बड़ी हानि हुई थी। इन दो निष्कर्षों के अभाव में, विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, नियम 92 के तहत बिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा विद्वान न्यायाधीश के समक्ष एक तर्क दिया गया था कि नियम 92 का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं था और उस नियम के तहत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बिक्री को रद्द नहीं किया गया था। वकील के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 51 ने बिक्री की पुष्टि नहीं की थी, जो उसे नियम 90 के

तहत करना आवश्यक था। इस तर्क को विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिनकी राय थी कि कार्यवाही नियम 92 के तहत शुरू की गई थी और प्रतिवादी नंबर 5 ने 11 सितंबर, 1968 के अपने आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि बिक्री को रद्द कर दिया गया था। ऐसा कोई अन्य नियम नहीं था जिसके तहत बिक्री को अपास्त किया जा सकता था या बिक्री को अलग करने की आपत्तियों पर विचार किया जा सकता था। नतीजतन, विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिवादी 4 और 5 द्वारा किए गए आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें अधिकार क्षेत्र के बाहर माना गया था। चंदगी राम और महला राम ने उस फैसले के खिलाफ वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की है।

(3) नियम 90 (8) के तहत, सार्वजनिक नीलामी में संपत्ति के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले घोषित व्यक्ति को अपनी बोली की राशि के 25 प्रतिशत से अधिक जमा राशि का भुगतान करने वाले अधिकारी को भुगतान नहीं करना होता है। बिक्री, यदि वह इस जमा को करने में चूक करता है, तो नीलाम की गई संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। नियम 90 (9) (बी) के अनुसार, जहां उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली अनंतिम रूप से स्वीकार की गई है, उसे इसकी मंजूरी से पहले बोली से हट जाता है, नियम 90 (8) के तहत उसके द्वारा जमा की गई राशि का 5 प्रतिशत सरकार को जब्त कर लिया जाएगा। नियम 90 (10) के तहत, बोली, जिसके संबंध में प्रारंभिक जमा स्वीकार की गई है, निपटान आयुक्त या इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी। इस उप-नियम के परंतुक के अनुसार, नीलामी के सात दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद तक किसी भी बोली को मंजूरी नहीं दी जाएगी। नियम 90 (11) के तहत, बोली के अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना उच्चतम बोलीदाता को दी जाएगी, और यदि बोली को मंजूरी दी जाती है, तो नीलामी खरीदार एक निर्दिष्ट समय के भीतर खरीद राशि की शेष राशि जमा करेगा। नियम 90 (14) के अनुसार, यदि नीलामी खरीदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर खरीद राशि की शेष राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा की गई प्रारंभिक जमा राशि जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी। नियम 90 (15) के तहत, जब नीलामी खरीदार से खरीद का पैसा पूरा प्राप्त किया गया है, तो प्रबंध अधिकारी उसे बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह देखा जाएगा कि नियम 90(10) के परंतुक के अनुसार, उच्चतम बोली, जिसके संबंध में प्रारंभिक जमा स्वीकार की गई है, नीलामी की तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले अनुमोदित नहीं की जाएगी। उक्त अवधि के दौरान, कोई व्यक्ति जो बिक्री के संचालन में कुछ अनियमितता या धोखाधड़ी की शिकायत करता है, उसे नियम 92 (1) के तहत निपटान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को बोली की स्वीकृति को मंजूरी देने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। यदि बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है, न कि निविदा आमंत्रित करके, तो उस आवेदन को नियम 92 (2) (ए) के तहत बोली की स्वीकृति से सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 92 में लिखा है-

> *"बिक्री को अपास्त करने की प्रक्रिया*- यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि बिक्री के संचालन में किसी कथित अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण नियम 90 या 91 के तहत किसी संपत्ति की बिक्री को रद्द कर दिया जाना चाहिए (बिक्री की सूचना में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री के मामले सहित) तो वह निपटान आयुक्त या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को इस संबंध में आवेदन कर सकता है। बोली या निविदा की स्वीकृति को मंजूरी दें, जैसा भी मामला हो।

(2) इस नियम के तहत बिक्री को अपास्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन किया जाएगा-

(1) जहां बोली की स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के भीतर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाती है;

(2) जहां निविदा एं खोले जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर निविदा आमंत्रित करके बिक्री की जाती है।

(3) यदि कथित तथ्यों पर विचार करने के बाद, जिस अधिकारी को इस नियम के तहत आवेदन किया गया है, वह संतुष्ट है कि बिक्री के संचालन के प्रकाशन में कोई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी की गई है, तो वह आदेश दे सकता है कि संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाए या नई निविदाएं आमंत्रित करके फिर से बेचा जाए, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि इस नियम के तहत कोई भी बिक्री तब तक अपास्त नहीं की जा सकती है जब तक कि तथ्यों को साबित न कर दिया जाए तो ऐसा अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण पर्याप्त चोट लगी है, जैसा भी मामला हो।

(4) इस नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, निपटान आयुक्त अपनी कार्रवाई से, इस अध्याय के तहत किसी भी बिक्री को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि कोई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को काफी नुकसान पहुंचा है, बिक्री के संचालन में किया गया है।

(5) नियम 92 और नियम 90 के भाग को पढ़ने से पता चलता है कि नियम 90 के तहत, किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए निपटान आयुक्त को आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें बोली को अपनी मंजूरी नहीं देने के लिए कहा गया है, जिसे नीलामी-बिक्री करने वाले अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जमा किए जाने के बाद स्वीकार कर लिया गया था। नियम 92 (2) (ए) के तहत, हालांकि, वह बिक्री को रद्द करने के लिए बोली की स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के भीतर एक आवेदन कर सकता है, जहां बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है। अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस मामले में बिक्री नियम 92 के तहत रद्द नहीं की गई थी, लेकिन नियम 90 के तहत निपटान आयुक्त द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी और इसलिए, बिक्री वास्तव में नहीं हुई थी। यह तर्क उच्चतम के बाद तर्क पर आगे बढ़ता है। **बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है, जिसे निपटान आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना है। जब इसे अनुमोदित किया जाता है, तो खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान नीलामी-खरीदार द्वारा किया जाना चाहिए और उसके बाद उसके पक्ष में एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही बिक्री को सभी तरह से पूर्ण माना जाएगा। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो अपीलकर्ता तत्काल मामले में बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय जब उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया था, तो बोली की स्वीकृति को निपटान आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और न तो नीलामी खरीदार द्वारा खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान किया गया था और न ही उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था। तब उनके आवेदन को**

केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं ने निस्संदेह बिक्री को अलग करने के लिए आवेदन पर किया है और ऐसा करने की प्रक्रिया केवल नियम 92 में दी गई है और जब बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है, तो ऐसा आवेदन बोली की स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, न कि इसके अनुमोदन से। यदि नियम 92 के तहत आवेदन ईडी succeed_ है, तो बिक्री को रद्द कर दिया जाएगा और बोली को मंजूरी देने का सवाल ही नहीं उठता। यदि, दूसरी ओर, सात दिनों की अवधि के भीतर नियम 92 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था, या ऐसा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, तो नीलामी की तारीख से सात दिनों की समाप्ति के बाद निश्चित रूप से निपटान आयुक्त द्वारा बोली को मंजूरी दी जाएगी। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी 4 और 5 दोनों ने बिक्री को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन को नियम 92 के तहत एक माना और उस आवेदन को स्वीकार किए जाने के बाद उनके द्वारा बिक्री को रद्द कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, यह सुझाव देना बेकार है कि अपीलकर्ताओं के आवेदन को नियम 92 के तहत एक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(6) इसके अलावा, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि न तो अपीलकर्ताओं और न ही प्रतिवादी 4 और 5 ने कभी यह स्थिति ली कि तत्काल मामले में, बिक्री को रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि बिक्री की शर्तों के तहत सभी बिक्री निपटान आयुक्त द्वारा पुष्टि के अधीन थीं, जो बिना कोई कारण बताए बिक्री की पुष्टि करने से इनकार कर सकते थे। वर्तमान मामले में, उन्होंने इस परिणाम के साथ ऐसा करने से इनकार कर दिया कि कोई बिक्री नहीं हुई। यदि अपीलकर्ताओं की यह स्थिति थी, तो उन्हें बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं थी और उत्तरदाताओं 4 और 5 को इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी कि अधिकारी निर्धारित समय पर बिक्री करने के लिए जगह पर नहीं पहुंचे और परिणामस्वरूप बोलीलगाने वाले चले गए। उत्तरदाताओं 4 और 5 के लिए बिक्री रद्द करने का एक और अवसर भी था। अपीलकर्ताओं या प्रतिवादी 4 और 5 द्वारा इस तरह की स्थिति कभी नहीं ली गई थी। अपीलकर्ताओं या राज्य के वकील को लेटर्स पेटेंट अपील में पहली बार इस स्थिति को अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(7) नियम 92 (3) के तहत, निपटान आयुक्त को बिक्री को रद्द करने से पहले दो मामलों के बारे में संतुष्ट होना पड़ता है, अर्थात्, (i) बिक्री के प्रकाशन या संचालन में भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी की गई है; और (ii) आवेदक को उक्त अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण पर्याप्त चोट लगी है। इन दो निष्कर्षों को निपटान आयुक्त द्वारा दर्ज किया जाना है। आक्षेपित आदेशों में, प्रतिवादी 4 और 5 ने ये निष्कर्ष नहीं दिए हैं और यह इस आधार पर है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उनके आदेशों को रद्द कर दिया।

(8) हमने अपीलकर्ताओं और राज्य के विद्वान वकील से बार-बार कहा कि यदि प्रतिवादी 4 और 5 ने ऊपर उल्लिखित निष्कर्ष दिए हैं, तो वे आक्षेपित आदेशों से इंगित करें, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि प्रतिवादी 4 ने अपने आदेश में कहा था कि नीलामी खरीदार अपने दावों की पुष्टि नहीं कर सके कि तहसीलदार, जिन्होंने बिक्री का संचालन किया था, सुबह 9.00 बजे गांव पहुंचे, कि सभी आपत्तिकर्ता मौजूद थे और अपीलकर्ताओं को छोड़कर उन सभी ने बिक्री पर बोली की पेशकश की। प्रतिवादी संख्या 4 के अनुसार, आपत्तिकर्ताओं के अलावा केवल कुछ ही व्यक्तियों ने नीलामी में बोली की पेशकश की और वास्तव में, खरीदारों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 4 की इन टिप्पणियों से अपीलकर्ताओं

के वकील यह निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि एक निहित निष्कर्ष दिया गया था कि बिक्री के संचालन में भौतिक अनियमितता थी। यहां तक कि अगर हम इस बिंदु पर उनकी दलील को स्वीकार करते हैं, तो प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा आगे कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि अपीलकर्ताओं को इस अनियमितता के कारण काफी हानि हुई थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ताओं ने बोली नहीं लगाई, यह माना जाना चाहिए कि उन्हें काफी हानि हुई थी। यदि कोई उस तर्क को स्वीकार करता है, तो प्रत्येक मामले में जहां बिक्री के संचालन में अनियमितता हुई है, नियम 92 (3) के परंतुक द्वारा परिकल्पित दूसरे निष्कर्ष को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे माना जाना चाहिए। नियम बनाने वाले प्राधिकरण का यह आशय नहीं हो सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है-

> पीठ ने कहा, 'इन दोनों आदेशों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उचित अधिकारियों ने इस आशय का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया है कि बिक्री के संचालन में अनियमितता या धोखाधड़ी हुई है। मामले का मूल रिकॉर्ड राज्य के वकील श्री जसवंत जैन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और इससे मुझे लगता है कि यह मानने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि बिक्री का संचालन किसी भी अनियमितता या धोखाधड़ी से ग्रस्त था।

विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता चंदगी राम के पूरे बयान को देखने के बाद कहा-

> उन्होंने कहा, 'मैंने चंदगी राम के बयान को पूरी तरह से पढ़ा है और पाया है कि यह दिखाने के लिए एक भी शब्द नहीं है कि बिक्री के संचालन में अनियमितता या धोखाधड़ी के बारे में कोई आरोप लगाए गए हैं.'

विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा:

> पीठ ने कहा, 'इन आदेशों के अवलोकन से मुझे लगता है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि प्रतिवादी संख्या पांच और छह (अपीलकर्ताओं) को कोई गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिन्होंने बिक्री को रद्द करने का अनुरोध किया था. निपटान अधिकारी के समक्ष आग्रह किया गया मुख्य आधार यह था कि आपत्तिकर्ता उच्च कीमत पर संपत्ति खरीदने के लिए तैयार थे। यह शायद ही बिक्री को अलग करने का आधार हो सकता है।

(9) अपीलकर्ताओं के वकील यह नहीं बता सके कि विद्वान एकल न्यायाधीश के ये निष्कर्ष किसी भी तरह से गलत थे।

(10) इस मामले से अलग होने से पहले, यह देखा जा सकता है कि नीलामी खरीदारों ने प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष इस आशय की एक और आपत्ति भी उठाई थी कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपत्ति परिसिमा से वर्जित थी। इस आपत्ति के बारे में प्रतिवादी नंबर 4 ने यह कहा:

> इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 92 आपत्ति याचिका दायर करने के लिए सात दिनों की सीमा निर्धारित करता है, लेकिन विभाग द्वारा जारी दिशा– निर्देशों के तहत, बिक्री की तारीख के 10 दिनों के भीतर आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। हालांकि, नियमों और निर्देशों के बीच संघर्ष के बारे में विवाद में प्रवेश किए बिना, मैं मानता हूं कि निपटान अधिकारी (बिक्री) को किसी

आवेदन पर या स्वत: संज्ञान लेते हुए सात दिनों की अवधि के बाद भी बिक्री की नियमितता या अवैधता में जाने का अधिकार था *और* बिक्री की पुष्टि ।या ऊपर उल्लिखित शर्त 5 के तहत बिक्री की पुष्टि करने से इनकार करें।

(11) यह कहा जा सकता है कि निपटान अधिकारी इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे । अपीलकर्ताओं के आपत्ति आवेदन पर ही प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने विवादित आदेश पारित किए थे। वह आवेदन नियम 92 (2) (ए) के तहत बोली की स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। आवेदन केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने के लायक था।

(12) मैंने ऊपर जो कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

एस.एस. संधावलिया, न्यायमूर्ति-मैं सहमत हूं।

"

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा